

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 063700



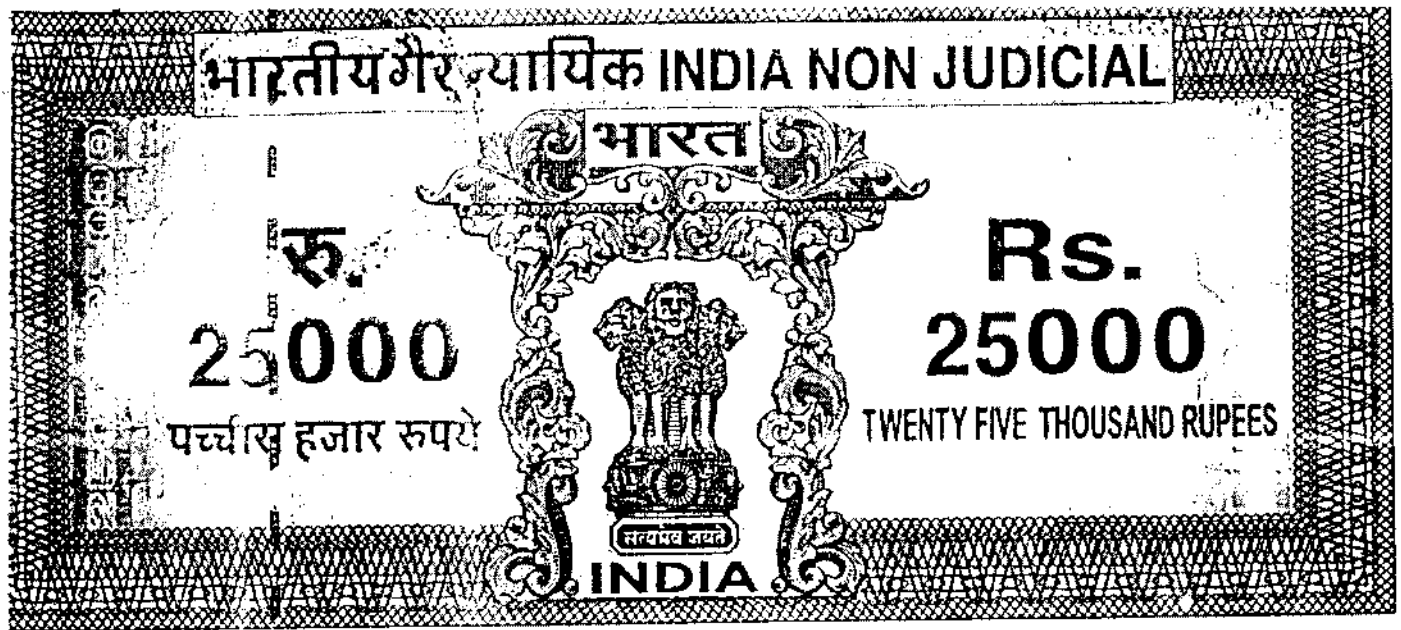
(1)

लोकृत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-2 (ख) (1) के पृष्ठ सं. 15 के क्रम संख्या 4 में लिखित कम्प्यूटर कोड नं. 1360 वाकें मौजा पिछोर ब्लाक बड़ागँव तहसील जिला झाँसी के अनुसार दर 0.050 हेक्टेयर की दर 1,20,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार भूमि की कीमत 6,00,000/- रुपया उसके बाद रकवा 0.150 हेक्टेयर की दर 90,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार भूमि की कीमत 13,50,000/- रुपया उसके बाद शेष बचा हुआ रकवा 0.045 हेक्टेयर की दर 60,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार भूमि की कीमत 2,70,000/- रुपया इस प्रकार भूमि की कुल मावियत 22,20,000/- रुपया।

मोहन लाल

श्रीधर

संजय नारायण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 063699

(2)

स्टाम्प का कुल योग

— 1,55,500 /—

दस्तावेज का प्रकार

— बैनामा

जिहाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित

मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

} — 22,20,000 /—

विक्रय मूल्य

— 22,00,000 /—

मोजा

— पिछोर

प्लॉक

— बड़ागोंव

सम्पत्ति का प्रकार

— कृषिकीय

भाषण की इकाई

— हेक्टेयर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल

— 0.245 हेक्टेयर

सड़क की स्थिति

— विक्रित आराजी सर्वश्रुतु मार्ग के निकट एवं आबादी से

50 मीटर दूर स्थित है।

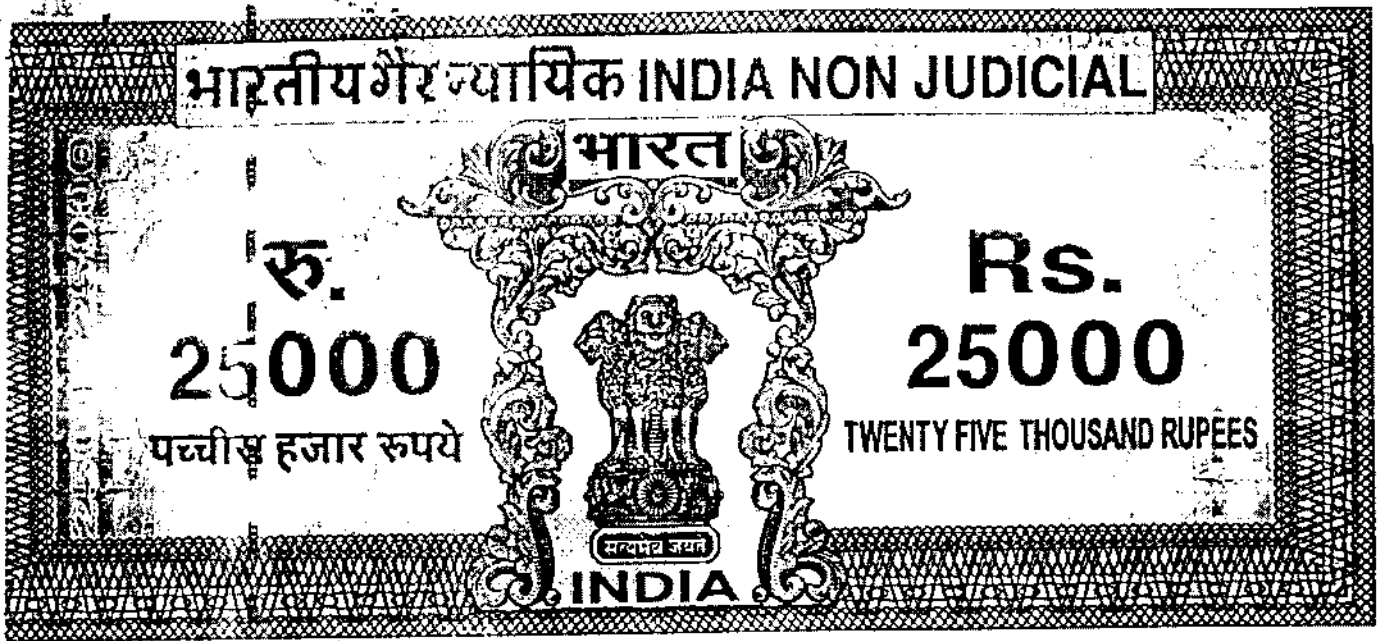
पडों का मूल्यांकन

— कोई पेड़ नहीं है

बोरिंग/कुआँ/अन्य

— कोई कुआँ नहीं है।

गोपी नाथ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 063698

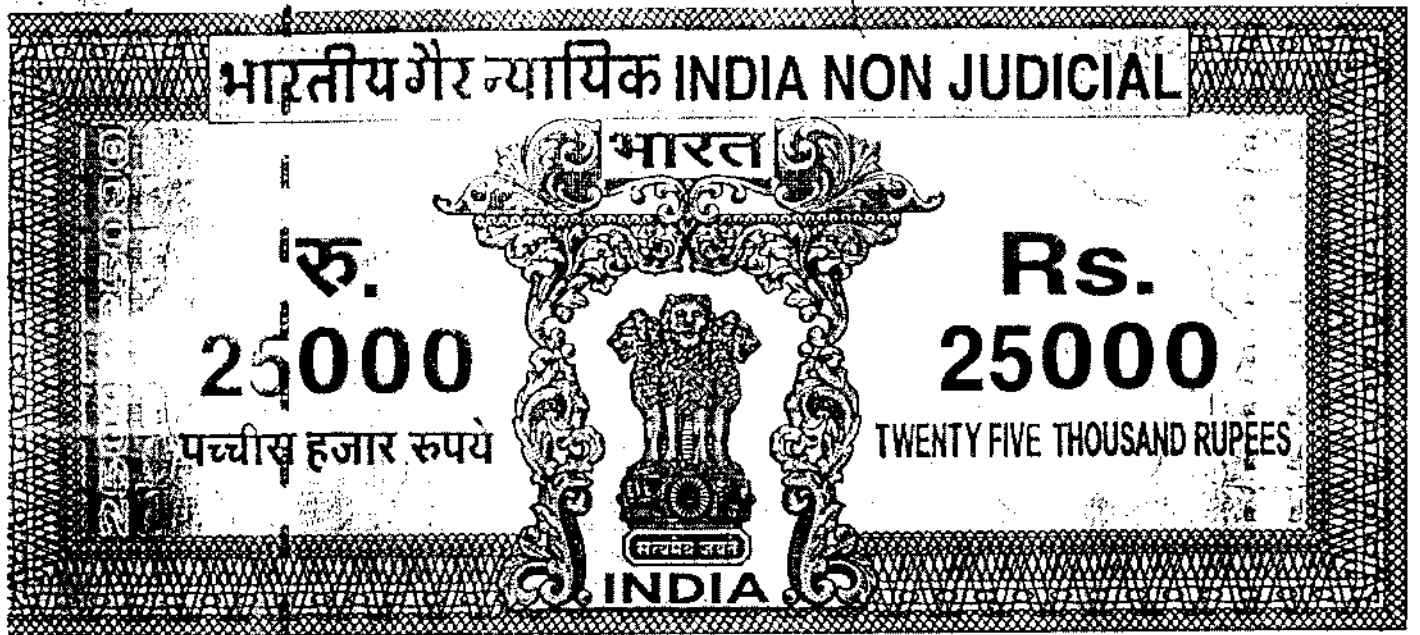
(3)

प्रथम पक्ष की संख्या — एक

द्वितीय पक्ष की संख्या — एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष— श्री मनोहर लाल चतुर्वेदी पुत्र स्व० श्री शिवमोहन लाल निवासी—11, शास्त्री मार्ग सिविल लाइन, शहर व जिला झाँसी वहैसियत मुख्तारआम श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री रामजीदास अग्रवाल निवासी—कैन्ट सदर बाजार झाँसी व हाल निवासी—राजघाट कॉलौनी दतिया (म०प्र०) व श्री गोपीनाथ पुत्र भवानीदीन निवासी— के०के० पुरी झाँसी व हाल निवासी— वर्मा कॉलौनी, डड़ियापुरा, झाँसी

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष—श्री रेंगलर बिल्डर्स (प्रा०) लि० 110 "इन्द्रप्रकाश" 21, वाराखम्बा रोड न्यू देहली द्वारा संजय वर्मा पुत्र स्व० श्री हरीमोहन वर्मा निवासी—57, वुसदेव झाँसी (पेन नं. AAACW15494)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 063697

(4)

सम्पत्ति का विवरण :- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा पिछोर ब्लाक बडागोंव

परमना व जिला झॉसी जिसका खाता संख्या 00333 आराजी नम्बर 415 मि0

रकवा 1.821 हेक्टेयर में से अपना रकवा 0.245 हेक्टेयर सम्पूर्ण वय किया गया

है। विक्रित आराजी सर्वव्रद्धतु मार्ग के निकट एव आबादी से 50 मीटर दूर स्थित है। दस्तावेज

हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित आराजी नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है, जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं है। विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी में कोई पेड़, कुआँ आदि नहीं है। वयशुदा आराजी का नया लगान 5 रूपया 20 पैसा सालाना है। विक्रित आराजी बंजर भूमि है। विक्रित आराजी क्रेता की आराजी से लगी हुई है। विक्रित आराजी में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी विक्रेतागण ने जरिये बैनामा स्व0 श्री हरीमोहन वर्मा पुत्र स्व0 श्री मन्नीलाल वर्मा निवासी-

डोपी नाव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

903491

(5)

57, वासुदेव शहर व जिला झाँसी से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 153 के पृष्ठ सं. 281/288 पर क्रम संख्या 5872 दिनांक 31-8-1990 ई० दर्ज है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू०पी० जेड०ए० एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है।

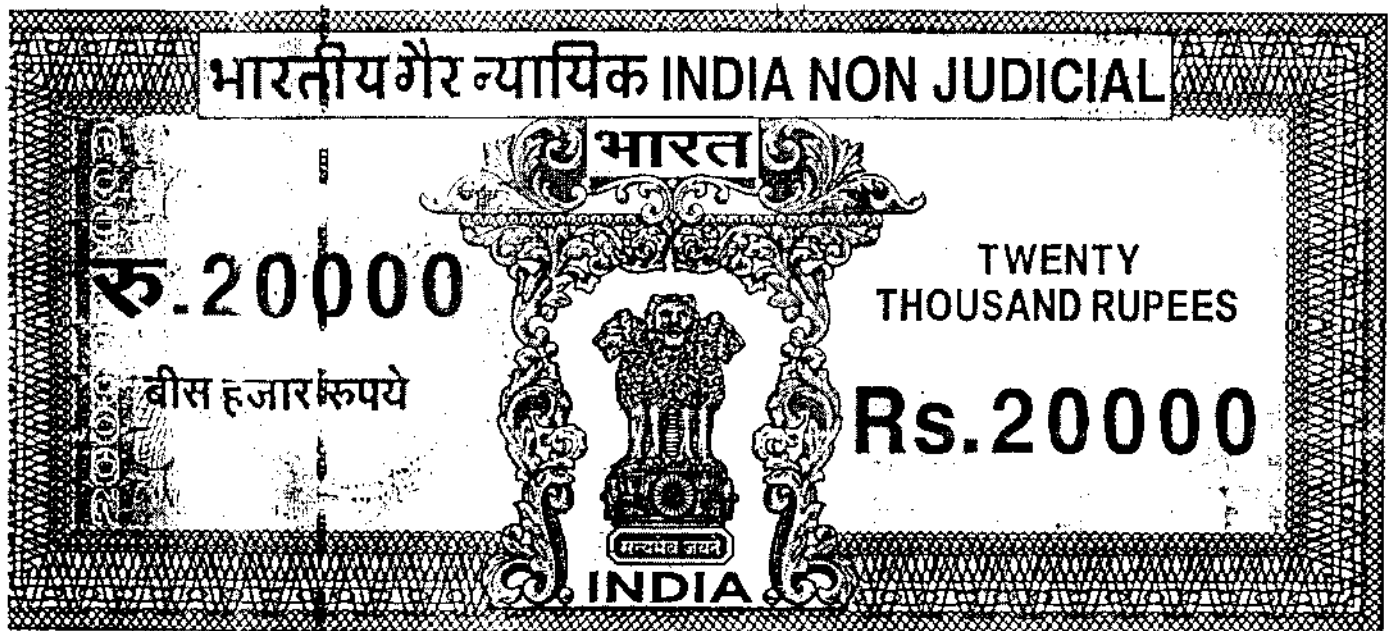
विक्रेतागण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं हैं।

विक्रय मूल्य- 22,00,000/- बाईस लाख रुपया जो नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा
निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

22,20,000/- बाईस लाख बीस हजार रुपया से अधिक नहीं है। शासन द्वारा आंशिक अधिसूचना के क्रम में दिनांक 30-06-2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

गोपी नाथ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

903490

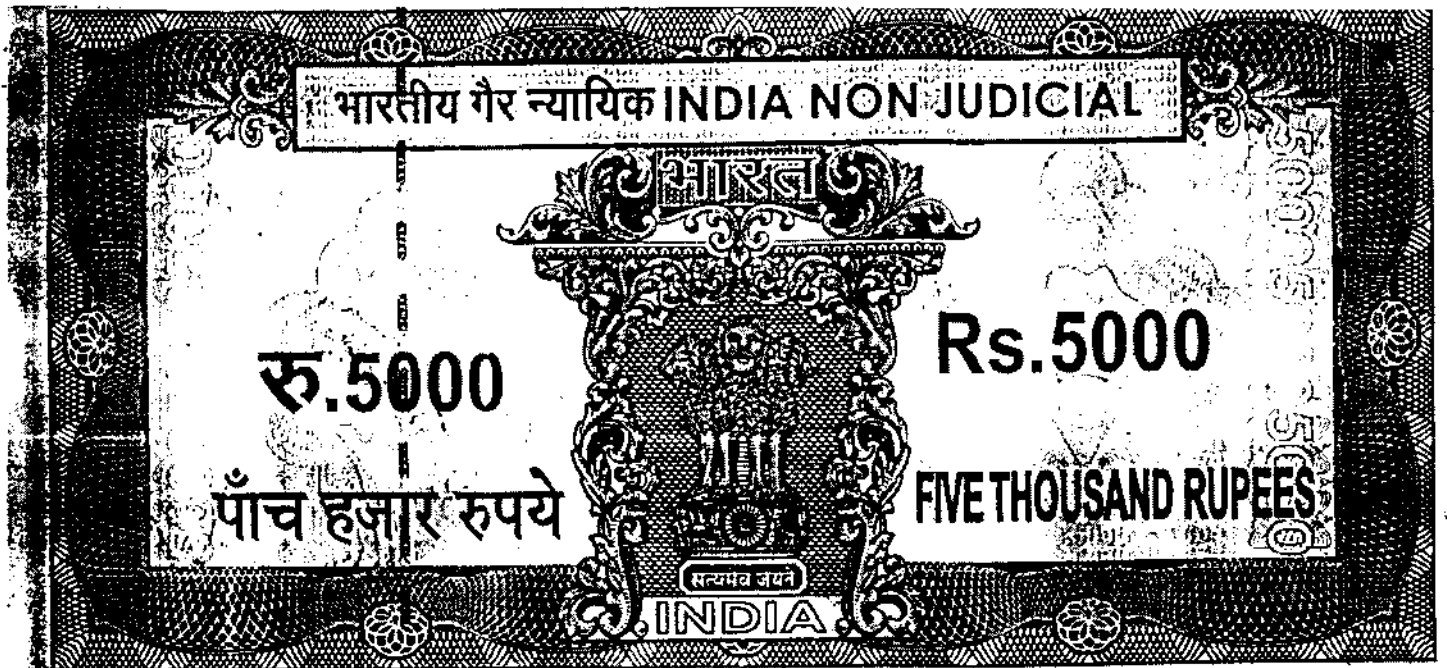
(6)

यह कि श्रीमती रेखा अग्रवाल उपरोक्त ने मनोहर लाल चतुर्वेदी उपरोक्त को उक्त सम्पत्ति की देख-रेख के साथ ही जरिये मुख्तारनामा आम वय हिवा रहिन आदि के भी अधिकार प्रदान किया है मुख्तारनामा की रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार दतिया (म0प्र0) में पुस्तक संख्या 364 ग्रन्थ 47 के पृष्ठ 16/20 पर क्रमांक 52 दिनांक 18-08-2003 ई0 दर्ज हैं जिससे मुझ विक्रेता को उक्त सम्पत्ति हस्तान्तरित करने के पूर्ण हक होंसिल हैं मुख्तारनामा का खण्डन नहीं किया गया है तथा मुख्तार नियोक्ता अभी जीवित हैं। यह कि श्रीमती रेखा अग्रवाल व गोपीनाथ उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील है, जो वहाँ वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व बरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन


गोपीनाथ

गोपीनाथ


रेखा अग्रवाल

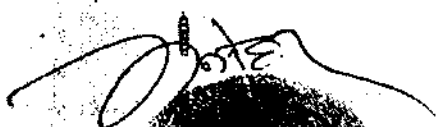


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

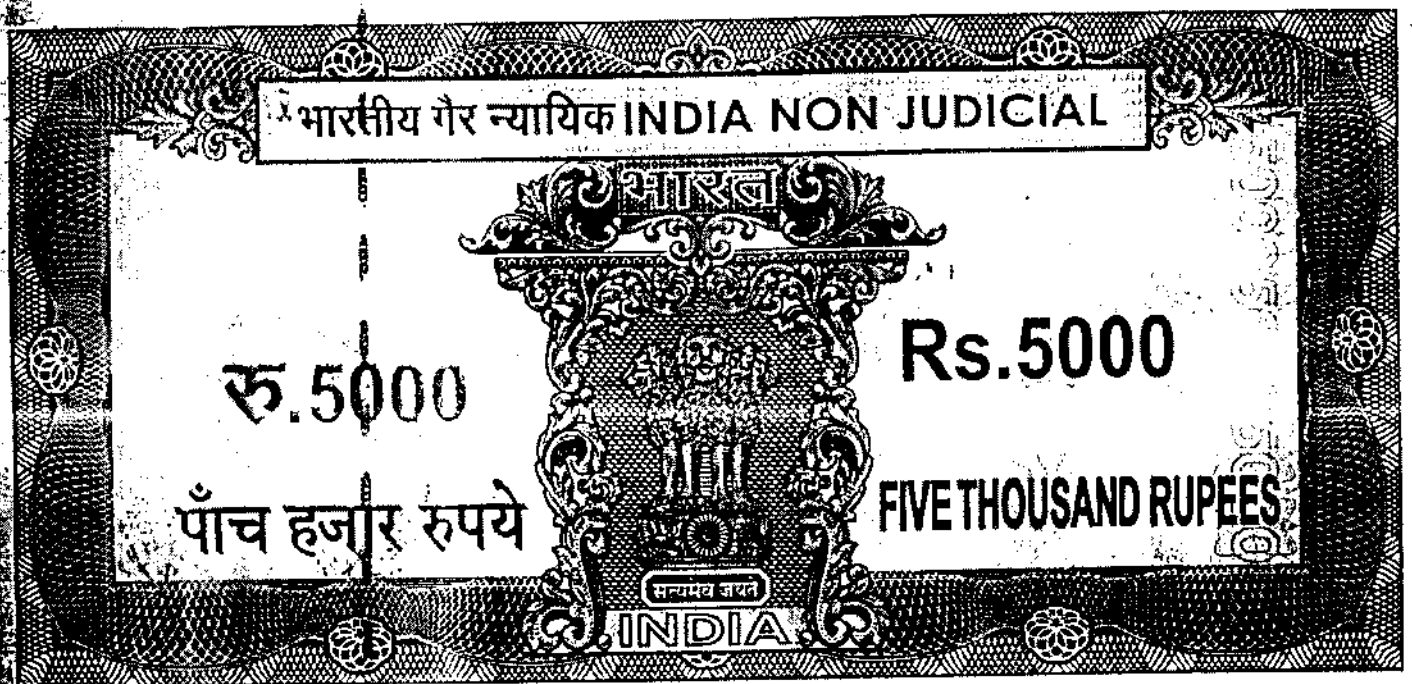
H 649711

(7)

है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि श्रीमती रेखा अग्रवाल व गोपीनाथ उपरोक्त को घरु कार्य हेतु रूपयो की जरूरत है अतः हम विक्रेतागण अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करते हैं, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काश्त करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करावें, कागजात मालिकान से श्रीमती रेखा अग्रवाल व गोपीनाथ का नाम खारिज कराके अपना नाम कर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें।




गोपीनाथ 
 

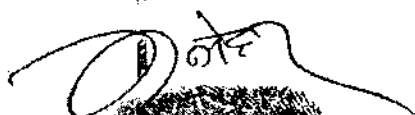


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 649712

(8)

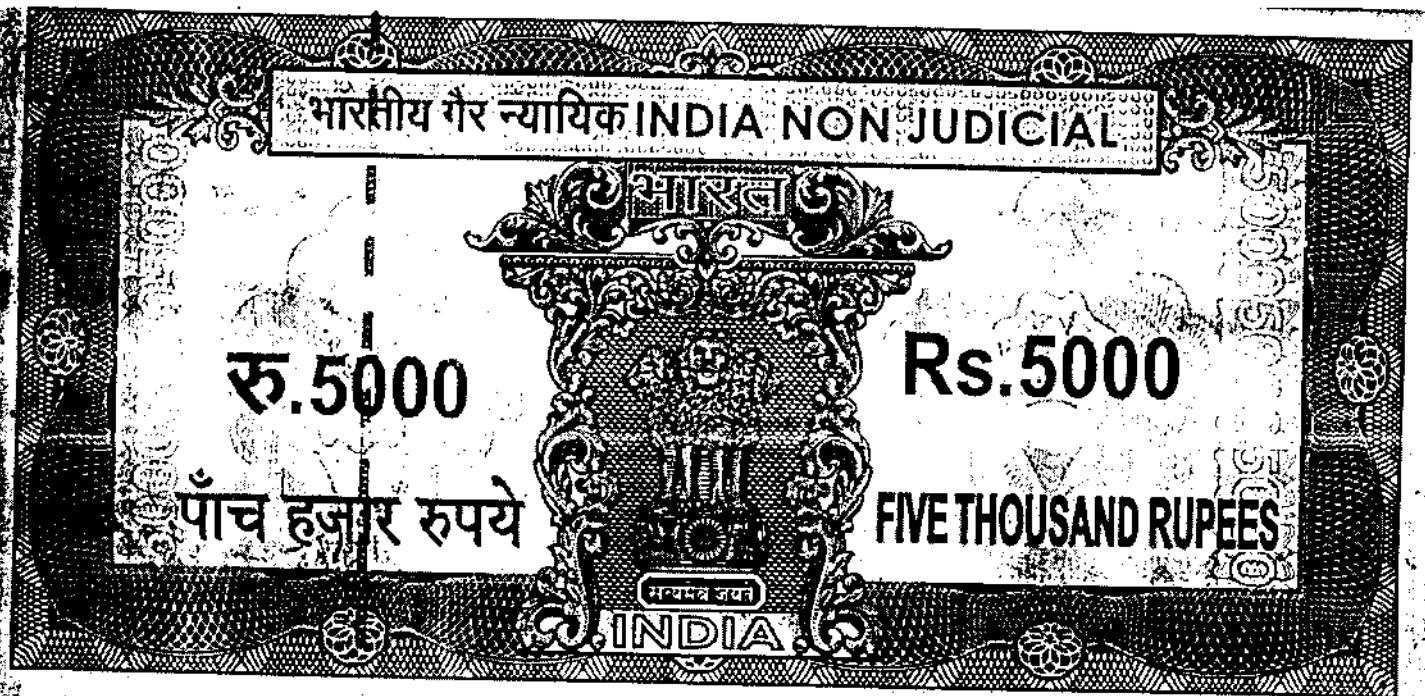
आज की तारीख से आराजी मुवैया से श्रीमती रेखा अग्रवाल व गोपीनाथ का व उनके वारिसानों का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा के देनदार व जिम्मेदार श्रीमती रेखा अग्रवाल व गोपीनाथ उपरोक्त रहेंगे। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं




गोपीनाथ





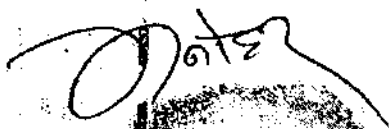


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 649713

(9)

छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेतागण एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जबरन दबाव के यह बेनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।


गोपी नाथ


गोपी नाथ




भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

C 948514

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

दिनांक : 21-01-2010

प्रारूपकर्ता : पं० हरीश कुमार तिवारी, एडवोकेट, तहसील झाँसी

टाईपकर्ता - रामकिशन जोशी, तहसील झाँसी

नियामक/राज्यपिठ चित

हरीश कुमार तिवारी
तिवारी
हस्ताक्षर

मोहर

गोपीनाथ



मोहर

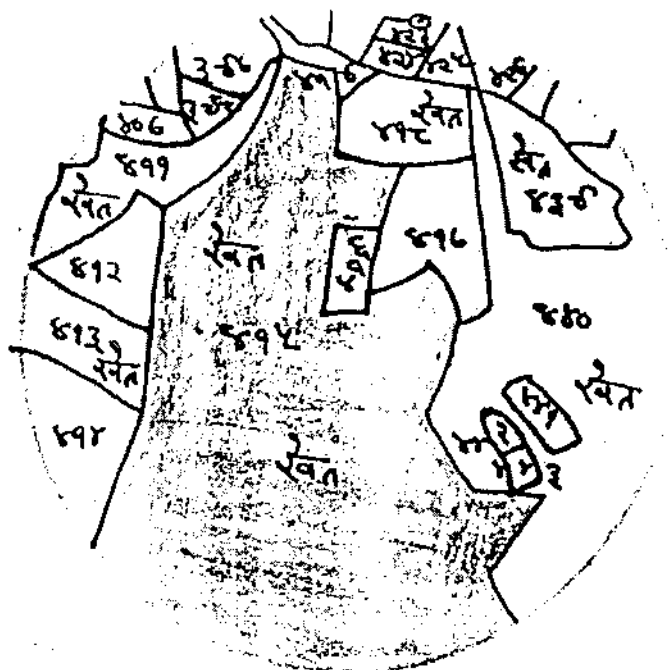
हस्ताक्षर

गवाह (1) Prof. Prakash Gopinath Singh

गवाह (2) Manoj Kumar Chandra
126 Chandra Kumar

नक्शा नजरी

विकेता का नाम श्री मनोहर लाल पुर्वेदी आदि 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
 जवा का नाम रेगलर मिष्ठान ज. सि. डा. त. प. लि. के विवरण का मानाचेत्र
 जवा पिछे श्री संजय वमा 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)
 गृही नम्बर - 891 मी. तहसील, परगना व जिला झाँसी
 से प्रदर्शित है।



गोपी नाथ

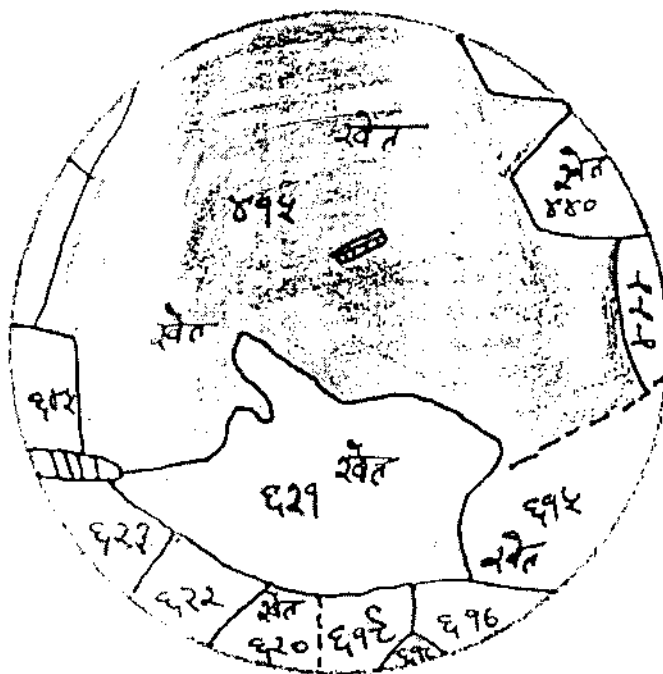
विके

हस्ताक्षर

M. KAMRAN KHAN
 APP. BY J.D.A. JHANSI
 LICENSE NO. 27
 DATE 2/11-2010

नक्शा-नजारी

बिकेता का नाम श्री मनेहर लाल पुर्बेदी 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
 क्रेता का नाम श्री रंगेश्वर बिक्रम अग्रवाल के विवरण का मानचित्र
 माना पिछौर श्री संजय नमि 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लालरंग)
 मूले नम्बर 892 मि तहसील परगना व जिला झाँसी
 से प्रदर्शित है।



मनेहर लाल पुर्बेदी

श्री रंगेश्वर बिक्रम अग्रवाल

श्री संजय नमि

M. KAMRAN KHAN
 APP. BY J.D.A. JHANSI
 LICENSE NO. 27
 DATE: 21/11-2010